



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-पी.बी.-अ.-20112025-267874
CG-PB-E-20112025-267874

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 745]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 18, 2025/कार्तिक 27, 1947

No. 745]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 18, 2025/KARTIKA 27, 1947

पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय

अधिसूचना

बठिंडा, 8 अगस्त, 2025

फा. सं. सीयूपीबी/25/अध्या./9106.—केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के अनुच्छेद 28 की उप-धारा (2) के साथ पठित केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाध्यक्ष की सहमति से अध्यादेश सं. XIII को निम्नलिखित से बदला जाता है:

"XIII

विभागाध्यक्ष

[अधिनियम अनुच्छेद 6, परिनियम 15(5)(क)]

1. अध्यक्ष की नियुक्ति

विभागाध्यक्ष के पद पर विभाग के प्रोफेसर व सह-प्रोफेसर की नियुक्ति उनकी वरिष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से की जाएगी।

यदि किसी विभाग में कोई प्रोफेसर अथवा सह प्रोफेसर नहीं है, तो उस समय के लिए उसी अध्ययन विद्यापीठ के अन्य विभाग के प्रोफेसर एवं सह प्रोफेसर में से वरिष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में विभागाध्यक्ष

नियुक्त किया जाएगा और उनकी सहायता के लिए विभाग के वरिष्ठतम सहायक प्रोफेसर को प्रभारी नियुक्त किया जा सकता है।

बशर्ते कि यदि उसी अध्ययन विद्यापीठ के अन्य विभागों में कोई प्रोफेसर या सह प्रोफेसर नहीं है, तो अन्य अध्ययन विद्यापीठों के प्रोफेसर या सह प्रोफेसर को वरिष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम में कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है और उनकी सहायता के लिए विभाग के वरिष्ठतम सहायक प्रोफेसर को प्रभारी नियुक्त किया जा सकता है।

उपर्युक्त निहित होने के बावजूद, कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति उन प्रोफेसरों या सह प्रोफेसरों में से नहीं की जाएगी, जो पहले से ही अध्यक्ष, डीन आदि जैसे कोई प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।

2. कार्यालय का कार्यकाल

2.1 विभागाध्यक्ष तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

2.2 अधिवर्षिता प्राप्त कर लेने पर विभागाध्यक्ष पद से स्वतः हट जाएंगे।

2.3 विभागाध्यक्ष अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

3. सभापति

विभागाध्यक्ष विभाग की बैठकों का संयोजन एवं अध्यक्षता करेंगे।

4. कार्य

विभागाध्यक्ष, डीन के सामान्य पर्यवेक्षण के अधीन, निम्नलिखित कार्य करेंगे:

4.1 शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य संचालित करना;

4.2 शिक्षण कार्य के आबंटन के अनुरूप समय-सारणी तैयार करना;

4.3 संकाय के माध्यम से कक्षा-कक्षों एवं प्रयोगशालाओं में अनुशासन बनाए रखना;

4.4 विभाग के समुचित कामकाज के लिए विभाग के शिक्षकों को यथा-आवश्यक ड्यूटियां सौंपना, तथा गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना; और

4.5 संबंधित विद्यापीठ के डीन, अकादमिक परिषद्, कार्यकारिणी परिषद् और कुलपति द्वारा सौंपे गए अन्य सभी कार्यों का निष्पादन करना।”

डॉ. विजय शर्मा, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./481/2025-26]

CENTRAL UNIVERSITY OF PUNJAB

NOTIFICATION

Bathinda, the 8th August, 2025

F. No. CUPB/25/Ord./9106.—In exercise of the powers conferred by Sub Section (2) of Section 28 of the Central University Act, 2009 read with Statute 37 under Second Schedule of the Central Universities Act, 2009, the Ordinance No. XIII is replaced with the following with the consent of the Visitor:

"XIII

HEADS OF DEPARTMENTS

[Act Section 6, Statute 15(5)(a)]

1. Appointment of Head

The post of Head of the Department may be assigned to the Professors and Associate Professors of the Department by rotation in order of seniority.

If there is no Professor or Associate Professor in any Department, for the time being the Head of the Department shall be appointed from amongst the Professor and Associate Professor of other departments in the same School of Studies by rotation in order of seniority as Acting Head and to assist him/her may appoint the senior-most Assistant Professor of the Department as In-charge.

Provided that if there is no Professor or Associate Professor in other departments of the same School of Studies, Professors or Associate Professors of other Schools of Studies may be appointed as Acting Head by rotation in order of seniority and to assist him/her may appoint the senior-most Assistant Professor of the Department as In-charge.

Notwithstanding anything contained above, the Acting Head shall not be appointed from amongst the Professors or Associate Professors, who are already performing any administrative duties such as Head, Dean, etc.

2. Term of Office

2.1 The Head of a Department shall hold office for a period of three years.

2.2 The Head of a Department shall on attaining superannuation, cease to hold office as such.

2.3 The Head of a Department may resign his/her office at any time during his/her term of office.

3. Chairperson

The Head of a Department shall convene and preside over the meetings of the Department.

4. Functions

The Head of a Department shall, under the general supervision of the Dean, perform the following functions to:

4.1 Organize the teaching and research work;

4.2 Frame the time table in conformity with the allocation of the teaching;

4.3 Maintain discipline in the class rooms and laboratories through faculty;

4.4 Assign to the teachers in the Department such duties as may be necessary for the proper functioning of the Department, and exercise control over the non-teaching staff; and

4.5 Perform such other functions as may be assigned to him/her by the Dean of the concerned School, the Academic Council, the Executive Council and the Vice Chancellor."

Dr. VIJAY SHARMA, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./481/2025-26]